अंतिम डिक्री बमुकदद्मे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 30/2019
दायर दिनांक :– 31/05/2019
निर्णय दिनांक :– 30.06.2022

उनवान

1. श्री नाथुलाल पुत्र स्व0 नारायणलाल रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. श्री लच्छीराम पुत्र स्व0 नारायणलाल के बजाय वारिस प्रभुबाई विधवा पत्नी लच्छीराम तहसील भूपालसागर
3. श्री हरिराम पि स्व0 नारायणलाल रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
4. श्री एकलिंग लाल पिता स्व0 नारायणलाल रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
5. श्री चतरभुज लाल पिता स्व0 नारायणलाल रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
6. श्री चौखाराम पिता स्व0 नारायण लाल रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर।

वादीगण

बनाम

1. श्री हीरा लाल पिता स्व0 गंगाराम रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
2. श्री मोती लाल पिता स्व0 गंगाराम रेगर निवासी आकोला तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार भूपालसागर, तहसील भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– 1. श्री अम्बालाल वादी वकील
2 .श्री पैरोकार सरकार प्रतिवादी सं. 3

–ःनिर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह है कि मौजा आकोला पटवार हल्का आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात नम्बर. 7971/5161 रकबा 0.0025 पूर्ण हिस्सा वादीगणों, आ.न. 5161 रकबा 0.02250 पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1,2 का है, आ.न. 7577/5161 रकबा 0.0050 है. संयुक्त है वादीगण एवं प्रतिवादीगण आ.न. 5154, 5155 5163 रकबा 0.0050 हैक्टयर पर संयुक्त रास्ता .स्थित है जिसमें वादीगणों का 1/2 हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी जरिये बंटवाडा डिक्री अपना हिस्सा अलग से चाहता है। अतः वादी ने 1/2 हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा डिक्री करवाने हेतु निवेदन किया। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी कर जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2021 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा हैक्टे. में
1	श्री नाथुलाल पिता नारायण लाल रेगर	7971/5161/1	0.0150
2	श्री चोखाराम पिता नारायण रेगर 20/75 प्रभुबाई पत्नी लच्छीराम रेगर 55/75	7971/5161मी.	0.0075
3	श्री चोखाराम पिता नारायण रेगर 25/75 श्री चतरभुज पिता नारायण रेगर 50/75	5163 मी.	0.0075
4	श्री नाथुलाल पिता नारायणलाल रेगर 120/200 श्री एकलिगं लाल पिता नारायणलाल रेगर 40/200 श्री हरिराम पिता नारायण 40/200	5163/1	0.0200
5	श्री हीरालाल ,मोतीलाल पिता गंगाराम रेगर	[illegible]	[illegible] 0.0275
6	श्री नाथुलाल, हरिराम, एकलिंग, चतरभुज, चोखाराम, पिता नारायणलाल प्रभुबाई पत्नी लच्छीराम रेगर 1/2 हिस्सा हीरालाल, मोती[illegible] गंगाराम रेगर 1/2 हिस्सा	[illegible]/3	0.0050
7	श्री नाथुलाल, हरिराम, एकलिंग, चतरभुज, चोखाराम, पिता [illegible] 5/6 हिस्सा प्रभूबाई पत्नी लच्छीराम रेगर 1/5 हिस्सा।	[illegible]	0.0250

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.07.04 12:03:25 IST
Reason: SelfAttested